संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अन्तर्गत 4/6 लेन अयोध्या बाईपास, जिसकी लंबाई 67.572 किमी0 है (उत्तरी अयोध्या बाईपास 112+540 किमी0 से शुरू होकर एन0एच0–28 के किमी0 139+928 पर समाप्त होता है और दक्षिणी अयोध्या बाईपास 112+540 किमी0 से शुरू होकर एन0एच0–28 के किमी0 153+281 पर समाप्त होता है) में जिला–बस्ती से प्रभावित संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05.09.2022 को परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,बस्ती के द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1– उक्त मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर उपयोग में आने वाली मार्ग पटरी की भूमि संरक्षित वन घोषित है। आप्रोच मार्ग से प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.513 हे0 भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यकता है।

2– प्रस्तावित मार्ग निर्माण में कुल 185 वृक्ष बाधक हैं।

3– प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण, अधिनियम–1980 का उल्लघंन कार्य नही किया गया है। मार्ग निर्माण कार्य की अनुमति उच्च स्तर से मिलने के बाद ही किया जायेगा।

4– भू–स्वामित्व विभाग संरक्षित वन भूमि पर मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि 0.513 हे0 पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नही कर रहे है तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई दावा लम्बित नहीं है, एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषण समुदाय के हित प्रभावित नही हो रहे है।

5– उक्त प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित भूमि (मार्ग पटरी) के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

6– उक्त मार्ग निर्माण के क्षेत्र में पुरातात्विक स्थल/हेरिटेज स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान/अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नही है और न ही वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हर्रैया रेन्ज

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
बस्ती

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई
रायबरेली

Scanned with CamScanner